

आदेश

20.11.08

अभिलेख आदेश हेतु उपस्थापित का अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर
 श्री/ श्रीमती सौनी उर्फ शारदा चववीन पिता/पति करीम खे जी
 साठ पनाहकोला अंचल मधुपुर जिला देवदा
 आवेदन-पत्र के आधार पर खोला गया है, जो मौजा पल्लवरचपटी थाना नं. 271
 थोका सं. 3 रकबा 4500/- वर्गफीट जमीन के नामान्तरण से
 संबंधित है। संबंधित हल्का कर्मचारी प्रअंचल निरीक्षक, मधुपुर से अभिलेख के आधार पर जांच
 कराई गई। जांच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। सोलह आना रैयत को नोटिस दी गई कि रिया या
 व्यक्ति द्वारा आपत्ति नहीं दिया गया।


हल्का कर्मचारी प्रअंचल निरीक्षक, मधुपुर का प्रतिवेदन अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि
 मौजा पल्लवरचपटी थाना नं. 271 थोका सं. 03
 रकबा 427.80/- वर्गफीट जमीन पंजी-2 में मनसुर खालक
 पिता/पति खे जी
 के नाम से दर्ज है। अवेदक / आवेदिका ने निबंधन कार्यालय, देवदा
 के केवाला सं. 277 दिनांक 23.08.2008
 द्वारा खरीदकर शांतिपूर्ण दखलदार है। विषयगत जमीन बसोड़ी सत्व की है तथा भूदान एवं
 भू-हदबंदी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी प्रअंचल निरीक्षक, मधुपुर ने नामान्तरण करने की अनुशंसा
 की है।

अतः केवाला दखल, हल्का कर्मचारी प्रअंचल निरीक्षक, मधुपुर के अनुशंसा के आधार पर
 मौजा पल्लवरचपटी थाना सं. 271 थोका सं. 3
 रकबा 4500/- वर्गफीट जमीन का नामान्तरण
 श्री/ श्रीमती सौनी उर्फ शारदा चववीन पिता/पति करीम खे जी
 साठ पनाहकोला अंचल मधुपुर जिला देवदा
 के नाम से करने की लागत की जाती है, अनुशंसित
 लगान 20.00 (बीस) रु रकं 25.00 (पन्नीस)
 रुपये नामान्तरण शुल्क प्राप्त करें।

कार्यवाही सहायक शुद्धि पत्र चार प्रतियों में हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित का एवं प्रस्तावित शुद्धि
 पत्र अनुपालन हेतु हल्का कर्मचारी को हस्तगत करावे।

लेखापित एवं शुद्धिपत्र
90.11.08
 अंचल अधिकारी
 मधुपुर।

90.11.08
 अंचल अधिकारी
 मधुपुर।



किया
 सचची प्रमाणित
 गोपाल
 प्रमाण
 10/11/08



Attested by
R. B. KUMAR
 NOTARY

10/11/08
 मधुपुर
 प्रअंचल निरीक्षक